



46

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

मा० 3284 - २१६

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण

/2016 (जिला- छिंदवाड़ा)

विरुद्ध

- 1- मंतू वल्द राजाराम कतिया
निवासी ग्राम मोठार तह. परासिया जिला छिंदवाड़ा
- 2- बंटी वल्द रोशन कतिया
- 3- श्रीमती गायत्री पत्नि रघुवीर पुत्री रोशन कतिया

निवासीगण फुलारा
 तहसील व जिला सिवनी श्री मोठा की. वा. मो. ————— अपीलार्थीगण
 द्वारा आज २३-९-६६ को
 प्रस्तुत

म०प्र० शासन द्वारा
 कलेक्टर, छिंदवाड़ा म०प्र०

२३-९-६६ ————— प्रत्यर्थीगण

अपील अंतर्गत 35(4) म० प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय
 आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 237/बी-121/15-16.
 में पारित आदेश दिनांक 15-9-16 से व्यथित होकर.

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-9-16 से व्यथित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

संक्षेप में प्रकरण का सार

यहकि, अपीलार्थीगण द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम घोरावाड़ी प.ह.नं. 27 रा.नि.मं. चौरई तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 421/29 रकबा 2.023 का विक्रय केता आशीष पिता मदनलाल को पंजीयत विक्रयपत्र दिनां 5-8-2013 द्वारा किया गया। उक्त विक्रयपत्र के आधार पर केता द्वारा नामांतरण हेतु कार्यवाही किए जाने पर अपीलार्थी द्वारा केता आशीष अग्रवाल के नाम नामांतरण किये जाने में अनापत्ति जताई। अपीलार्थी की विना जानकारी के प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार, चौरई द्वारा अपीलार्थी की भूमि को शासकीय पट्टे की मान्यकर सक्षम अधिकारी की अनुमति ना होना लेख कर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होना मानते हुए भूमि शासन हित में घोषित किये जाने हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम

५१२

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, व्यालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 3284-एक/16

जिला - छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रश्नकर्ता एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
३-१०-१६	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह अपील आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 237/बी-121/15-16 में पारित आदेश दिनांक 15-9-16 के विळङ्ग प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदकगण एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। इसी प्रकरण से संबंधित एक अन्य प्रकरण अपील 3278-एक/16 में इस व्यायालय द्वारा दिनांक ३-१०-१६ को आदेश पारित किया जाकर विद्वान आयुक्त के आदेश दिनांक 15-9-16 के साथ-साथ कलेक्टर, छिंदवाड़ा द्वारा मूल प्र०क० 51/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 23-5-2015 को निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई है। चूंकि इस प्रकरण के तथ्य भी प्रकरण क्रमांक अपील 3278-एक/16 के समान हैं। अतः उक्त आदेश इस प्रकरण में भी लागू होगा। परिणामतः यह निगरानी भी स्वीकार की जाती है और इस प्रकरण में भी आयुक्त एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं।</p> <p>3/ उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	 सादर्य

R
2/5